आयोग की ओर से शिक्षा विभाग हेतु दिशानिर्देश

1. राज्य के समस्त निजी एवं गैर सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा एन0ओ0सी0 लेना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये एन0ओ0सी0 व शासनादेशों पालन न करना एवं बिना राज्य की मान्यता के स्कूल का संचालन करने पर संबंधित ठवंतक को सिफारिश कर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–16** प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक अनुर्त्तीण करना अथवा विद्यालय से निष्कासित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्राविधान के उल्लंघन किये जाने पर विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबन्धन के विरुद्व उन पर लागू सेवा नियमावली के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

3. विद्यार्थीयों को **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–17 (1)** में स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड व मानसिक प्रताड़ना न दी जाय का जिसका अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. **अधिनियम–2009 की धारा–28** में प्राविधान किया गया है, अधिनियम–2009 की धारा–28 में प्राविधान किया गया है कि विद्यालय परिसर एवं परिसर के बाहर निजी टयूशन को प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त नियमों का उल्लंघन किये जाने पर विद्यालय के अध्यापक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्व कार्यवाही की जायेगी। जिसका अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. **पोक्सो अधिनियम–2012** के अंतर्गत सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में पोक्सो कमेटी का गठन किया जाना अनिर्वाय है। चूंकि मोबाइल एवं इंटरनेट के कारण बालक–बालिकाओं में छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म की घटनाएं संज्ञान में आ रही है। सभी छात्र–छात्राओं को पोक्सो कमेटी की जानकारी भी दी जाए।

6. सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय पोक्सों अधिनियम एवं गुड टच, बैड टच, की संबंधित विभाग/विशेषज्ञ लोगों को आमंत्रित कर हर तिमाही कार्यशाला/कार्यक्रम द्वारा बच्चों को जागरूक करना सुनिश्चित करें।

7. सभी स्कूलों में एक विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु एवं काउंसलर और मनोवैज्ञानिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी आवश्यक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. राज्य के समस्त निजी एवं गैर सरकारी स्कूलों पी0टी0ए0 का गठन अनिवार्यरूप से किया जाना सुनिश्चित किये जायें तथा बैठकों के नियमित आयोजन किया जाये।साथ

ही उक्त सभी बैठकों की रजिस्टर बनाना सुनिश्चित किया जाए व उसमें प्रत्येक बैठक के कार्यवत अंकित करना सुनिश्चित किया जाये।

9. शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त के अलावा सभी सरकारी शासनादेशों व शिक्षा का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

10. निजी व सरकारी विद्ययालयों में बच्चों के किसी भी प्रकार बाल शोषण पर रोक लगाने के लिये स्कूलों में शिक्षकों को ज्तंपदपदह वि ज्मंबीमते ;ज्व्ज्द्ध कार्यक्रम चलवा कर प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिये, जिसमें शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को (पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, नई मोटर वेहिकल अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जे0जे0 बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाईन, बाल कल्याण समिति, डी0सी0पी0यू0 इत्यादि का जानकारी दी जाये)।

11. राज्य के समस्त निजी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को विद्ययालयों में नैतिक शिक्षा तथा शिक्षकों, कर्मचारियों व बच्चों को साईबर सुरक्षा सम्बन्धी समस्त जानकारी दिया जाना अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. राज्य के समस्त निजी एवं गैर सरकारी स्कूलों के अनाथ व एकल अभिभावकों के निजी व सरकारी विद्ययालयों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा के लिये एडमिशन के समय में **स्टेशनरी व पुस्तकों की किट वितरण की योजना सरकार** द्वारा तैयार करवाया जाये, जिससे प्रदेश के बच्चों की पुस्तक व स्टेश्नरी के अभाव में बिना रूके पढ़ाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. राज्य के समस्त निजी एवं गैर सरकारी स्कूलों में गठित अध्यापक–शिक्षक संघ, पोक्सो समिति व की समीक्षा और निगरानी हेतु प्रणाली गठित करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा तीनो स्तरों पर (ब्लॉक, जिला और राज्य) अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. बालश्रम, बाल भिक्षावृति, कूड़ा बिनने वाले, ट्रांस्जेण्डर, स्ट्रीट चिल्ड्रेन व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे गरीब बच्चे, दिव्यांग बच्चे तथा असहाय बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रिसोर्स शिक्षकों को नियुक्त कर बच्चों में साक्षरता के लिए प्रेरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. विद्ययालयों से ड्रॉपआउट हुए बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें समाजसेवकों व रिसोर्स शिक्षकों के माध्यम से अभियान चलाये जायें, जिससे कि ड्रॉपआउट हुए बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों का आंकलन कर, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाना किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ।

16. बुक बैंक/पुस्तक बैंक – हर नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावकों को नई पुस्तकें क्रय न करना पड़े उसके लिये हर विद्यालय में एक **बुक बैंक/पुस्तक बैंक** तैयार किया जाना चाहिये, जिसमें शैक्षणिक सत्र के अन्त में समस्त छात्र–छात्राओं से उनके द्वारा

उपयोग की गयी पुस्तकें वापिस ले ली जायें और उसी कक्षा में आने वाले अगले बैच के बच्चों को वह पुस्तकें उपलब्ध करवा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. छात्रों के अन्दर राष्ट्रीय की भावना विकसित किये जाने के हेतु राज्य में संचालिज समस्त सरकारी, गैर सरकारी, अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों में राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गाया जाना अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. छात्र/छात्राओं को **नई शिक्षा नीति** के नियमित पाठ्यक्रम के साथ–साथ उनके वातावरण, उनके अधिकारों व अन्य सामाजिक विषयों के बारे में उनके आयु व कक्षा के अनुसार समय–समय पर जागरुक करवाये जाने की आवश्यकता है। उक्त के क्रम में जागरुक करवाये जाने हेतु कक्षावार विषय निम्नलिखित है–

क्रम सं0	विषय	कक्षा
1.	**पर्यावरण संबंधित जानकारी** – पौधारोपण तकनीक, पौधों का रख–रखाव, जल संरक्षाण, ऊर्जा संसाधन आदि।	कक्षा 06
2.	**शारीरिक छवि व शारीरिक विकास –** किशोरवास्था में आयु के साथ शरीर में होने वाले बदलाव, मासिक धर्म स्वच्छता आदि की जानकारी।	कक्षा 06 व कक्षा 09
3.	**डिजिटल दुरुपयोग** – मोबाईल आसक्ति, इन्टरनेट आसक्ति, विडियो आसक्ति आदि की जानकारी, वित्तीय प्रबंधन व पुनर्वास के तरीके।	कक्षा 07
4.	**बाल अधिकारों –** बाल अधिकार, पोकसो, बालश्रम, बालविवाह, किशोर न्याय अधिनियम, बाल कल्याण समिति, जे0जे0बी0, चाईल्ड हेल्पलाईन आदि की सम्पूर्ण जानकारी।	कक्षा 08
5.	**सड़क सम्बन्धी सुरक्षा** – मोटर वाहन अधिनियम, ट्रैफिक नियम आदि व **नशीले व मादक पदार्थो का दुरुपयोग**।	कक्षा 09 व कक्षा 10
6.	**करियर परामर्श –** आजीविका प्रशिक्षण।	कक्षा 11

7.	**– शारीरिक फिटनेस,** **– तनाव प्रबंधन,** **– रिलेशनशिप मैनेजमेन्ट,** **– उच्च शिक्षा व बारहवी कक्षा के बाद के लिये तैयार करना।**	कक्षा 12

आयोग द्वारा विद्यालयों मे दिव्यांगजनों हेतु दिशानिर्देश

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता को रखा गया है, जिसके लिए दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा इन्क्लुसिव स्कूलिंग के लिये स्कूलों में उनके आवश्यकतानुसार विशेष शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए।
2. यदि विद्यालय निचले तल पर है तो शारीरिक दिव्यांग बच्चों के सुचारु गमनागमन हेतु सुविधाजनक रैम्पिंग तथा कॉरिडोर होने अनिवार्य है। यदि विद्यालय में एक से अधिक तल है तो पहले तो यह सुनिशिचित किया जाये कि दिव्याांग बच्चों कि कक्षायें निचले तल पर ही लगायी जायें। अन्यथा बच्चों कि सुविधा हेतु लिफ्ट व्यवस्था अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. दिव्याांग बच्चों की प्रसाधन कि व्यवस्था उनकी आवश्यकता के अनुरुप सुविधाजनक रुप से प्रयोग में लाये जाने वाले अनिवार्य रुप से किया जाये।
4. न्यूरोलॉजिकल सम्बन्धी दिव्यांगताओं (जैसे आटिज़्म, अधिगम अक्षमता) तथा मानसिक मंदता, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित हेतु विशेष शिक्षक हर विद्यालय में अनिवार्य रुप से नियुक्त किये जाये साथ ही शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु ऑडियो–विज़ुअल विधि को प्रयोग में लायें जाये।
5. दिव्याांग बच्चों के लिये स्वच्छ पेयजल, पुस्तकालय, कौशल विकास सम्बन्धी तथा मनोरंजन हेतु व्यवस्था होनी आवश्यक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. विद्यालय में हर जगह की जानकारी सहित आकर्षक साइनेज बनायें जायें तथा यह सूचित करते हुए कि विद्यालय में दिव्याांग मित्र वातावरण है का प्रमाण विद्याालय के मुख्य द्वार पर लगाया जाना अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

आयोग द्वारा विद्यालयों मे आवश्यक सुविधाओं हेतु दिशानिर्देश

• क्या सुरक्षा गार्ड तैनात है यदि हां तो संख्या।		
• विद्याालय के मुख्य द्वार पर निम्न जानकारी सहित साइनेज चस्पा किए जाएं ➢ आपातकालीन नम्बर ➢ उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ➢ चाइल्डलाईन, ➢ जिला बाल संरक्षण समिति, ➢ बाल कल्याण समिति, ➢ अभिभावक शिक्षक संघ का नम्बर चस्पा है।		
• शिकायतपेटी उपलब्ध है अथवा नहीं।		
• क्या खेल का मैदान उपलब्ध है।		
• विद्यालय में पी0टी0 व स्पोर्ट्स के शिक्षक उपलब्ध है।		
• क्या बच्चे आउटडोर गेम खेलते है।		
• आउटडोर गेम के कौन कौन से खेल उपकरण उपलब्ध है।		
• क्या बच्चे इनडोर गेम खेलते है।		
• इनडोर गेम के लिये क्या क्या उपकरण उपलब्ध है।		
• विद्यालय कैम्पस में कुल शौचालयों की संख्या।		
• क्या बच्चों के लिये पुस्तकालय उपलब्ध है।		
• बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिये कितने कम्प्यूटर उपलब्ध है।		
• बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिये कितने शिक्षक उपलब्ध है।		
• क्या विद्यालय में काउन्सलर नियुक्त है?		
• क्या कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिये इन्टरनेट की सुविधा है?		
• क्या विद्यालय में कला एंव संस्कृति के शिक्षक उपलब्ध है?		
• क्या ब्लैक बोर्ड पर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध है।		

• रूग्ण/चिकित्सा ईकाई की व्यवस्था है।		
• क्या पर्याप्त जल उपलब्ध है।		
• क्या मैन्स्ट्रुअल हाईजीन के लिये सैनिटरी पेड, पानी की व्यवस्था, सैनिटरी पैड डिस्पैन्सर ;दपजंतल च्ंक क्पेचमदेमतद्ध हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध है?		
• क्या बच्चों को किशोरावस्था से सम्बन्धित प्रशिक्षण/कार्यशाला द्वारा जन जागरूकता दी जाती है?		
• क्या छोटे बच्चों को गुड टच व बैड टच का प्रशिक्षण दिया जाता है?		
• क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशेष शिक्षक उपलब्ध ह?		
• क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु सहायिका उपलब्ध ह?		
• क्या विशेष/दिव्यांग बच्चों के लिए रैम्पिंग/लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है?		
• क्या विशेष/दिव्यांग बच्चों के लिए कक्षा में बैठने की सुविधा उपलब्ध है?		
• क्या विशेष/दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिये विशेष उपकरण/टॉय उपलब्ध है?		
• क्या खुली जगह साफ सुथरी, आकर्षक और बाल सुलभ सुविधायुक्त है?		
• क्या विद्यालय परिसर में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है?		
• यादि हां तो क्या वह प्रशिक्षित है?		
• फर्स्ट एड बाक्स उपलब्ध है।		
• साफ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है?		
• क्या चिकित्सा सुविधा हेतु वाहन उपलब्ध है।		
• बच्चों के मनोरंजन के लिये कक्ष उपलब्ध है।		
• कितनी प्रयोगशालाऐं उपलब्ध है।ं।		
• क्या बच्चों की देखरेख हेतु आया उपलब्ध हैं ं।		

• क्या विद्यालय को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिये विद्युत/इन्वरटर की सुविधा उपलब्ध है।		
• क्या विद्यालय रिकार्ड ठीक प्रकार से अनुरक्षित है?		
• कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर का रिकार्ड संरक्षित है?		
• बाल उपस्थिति रजिस्टर का रिकार्ड संरक्षित है?		
• क्या विद्यालय में बालक सुझाव पेटी है?		
• क्या चिकित्सा फाईल/चिकित्सा कार्ड उपलब्ध है?		
• क्या बच्चों को स्वास्थय सम्बन्धी/फर्स्ट ऐड की ट्रैनिंग दी जाती है?		
• क्या बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रैनिंग दी जाती है?		